मां० मुख्य मंत्री जी की घोषणा संख्या:- 121/2010 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ में परियोजना का नाम :--रॉथी-जम्मा-खेला-गर्ग्वा-खेत मोटर मार्ग एवं सेत् का नव र्निमाण कार्य। (लम्बाई 30. 00 कि0मी0)

> वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नाम - रॉथी-जुम्मा-स्यॉकुरी। तहसील-धारवूला, जिला-पिधौरागढ़ अन:पत्ति प्रमाण पत्र

मा० मुख्य मंत्री जी की घोषणा संख्या:- 121/2010 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ में रॉथी-जुम्मा-खेला-गर्गुवा-खेत मोटर मार्ग एवं सेतु का नव र्निमाण कार्य। (लम्बाई 30.00 कि0मी0) परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 9.55 हैं0 सिविल सोयम भूमि, शून्य हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 9.700 है0 वन भूमि का निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तृत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्रांव पंचायत रॉथी-जामा एवं स्थाक्री द्वारा दिनांक था। 2015 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी हूं रा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर गाविदासी का उब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि टडा वन भूमि में दिसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परिक्षेजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रॉथी-जम्मा एवं स्यॉक्री के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट प्रयोक्ता प्रजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेत् दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पचायत रांधी

बि**ं खण्ड धार**चूला (प्रिथीर:

### प्रपत्र-23.1

# दिनांक:-2-11-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

## ग्राम पंचायतः— रॉथी

	ग्राम् समा में उपस्थित वरिश्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
कमांक		123
1	GUNTAIE.	447108
2	96HLE.	797102
3	मान्धाम है.	29701 1EC
4	MIND COLE	METICIAL
5	ECHE	Munory
6	-11/12/06/10 8	10
7	19714 IKE	mohowsky
8	HIERIES.	Frost
9	- forge . UT7 1 ME	+249 Ras
10	नथन १ सर	TK GEAL
11	71188	1/4 044
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		-
25		

ह0/- प्रधान ग्राम प्रधान ग्राम प्रधान दे० खण्ड धारचूला (पिथौरागड़)

De Pur Salens

## प्रपत्र-23.1

## दिनांक:-2-11-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

## ग्राम पंचायतः- स्यॉकुरी

कमांक	ग्राम समा में उपस्थित वरिश्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
		CISIAN U
1	चान्य सिंह	- TEISCIN
2		शाहनाव
3	Anna Maria Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara	-T1213101
4		37716 4
5		शकी थ
6	4.1.	Jasos in
7	चवडका हिंह नानी	35dd1
8	उन्नेल हिंह नानी	
9		
10		1
11		
12		1 200
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		-
20		
21		
22		
23		
24	- 0 to make 17 com	
25		

ह0/-

ग्राम प्रधान

Continued and

De bud

िकल्पु उन्हें अधियन। उन्हें तीर निर्म्म विक धारधूला.

## प्रारूप - 23.1

दिनॉक:- 2-11-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत:- जुम्मा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ट्र ग्रामवासियों के नाम	🔿 и हस्ताक्षर
1	नार्ष्ट्र हाण उदयास्ट	85h
2	राधा ५वा किनाराम्यो ।	राया देवी
3	वियानिह अठ महिलाहि	्विशन स्टि
4	राधा देनी क्षा नारामा । हिंह विद्यानिह डक मेरामिह अमिरिह डक नेनिस्ह	- जेम लिह
5	7181401 (4280 47 666	=गरायम् स्टि
6	िंड दिं डिंग निर्मा	िहेग्र सिंह
7	प्रकर्मिट ५० प्रमुक्ट	YOUNG THE
8	भी पाला 5 500 मिर्गिय	जेपाल राम
9	राजिन्यात इस्व स्वीतिम	भारेन सिंह भीर निहं
10	भारतिह ६० रतिनिह जारिष्ट ६१० क्रिनिह राजिन्द्रास्ट ६६० जिशनाहि पुरुष्ट राम ६०० जिशामा जमनराम ६०० हिरायम नवानीराम ६०० हिरायम वलवन्ति ६०० हिरायम नवानीराम ६०० क्रियाम वलवन्ति ६०० स्त्रीयम हिरायम ६०० स्त्रीयम	मोहन रिलेंड
11	व्यापिष्ट 510 अनिक्	और रिष्ट
12	राजन्द्रास्ट इक विश्वानास्ट्र	राजेन्द्र सिंह
13	पुठवार् राम ८७ जागाराम	प्वज्र राम
14	जमनराम डाठ देवराम	अद्यानी राम्
15	अवगराम ६०० होरायम	
16	वलवनारिष्ट कि धनारि	50 121211)
17	गाठीश्रार्भ १८०-वन्द्राम	
18	हराराम ९० स्त्रशीय	Down ?
19	7111120 00 317111	· 9191-11 FIE
20		-1-47 सिंद
21	हियात्रास्ट ११६ हर्राध्य	841A 1HZ
22	क्रासिट श्रुष्ठ के लामा पर	- ५३ दिन्ध
23	ह्यातिसिंह १८७ हर्रा हिंद नद्रासिंह १८० कं लाम पर महात्मिह १८० मानिस्	द्व दिन्ह क्षणति संह
24	बारास्ट 500 मानास्ट	भीर निष्ट
25	राष्ट्रमास ह मार विस्मासिंह	ये हुए। रहा

ह0 / ग्राम प्रधान —



परियोजना का नाम :- मा० मुख्य मंत्री जी की घोषणा संख्या:- 121/2010 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ में रॉथी-जुम्मा-खेला-गर्गुवा-खेत मोटर मार्ग एवं सेतु का नव निमाण कार्य। (लम्बाई 30.00 कि0मी०)

> कार्यालय उप जिलाधिकारी,धारचूला अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

#### प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति,धारचूला

उपखण्ड धारचूला परिक्षेत्र के अन्तर्गतमा० मुख्य मंत्री जी की घोषणा संख्या:— 121/2010 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ में रॉथी—जुम्मा—खेला—गर्गुवा—खेत मेंटर मार्ग एवं सेतु का नव निमाण कार्य। (लम्बाई 30.00 कि0मी०) (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 9-65 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 9-65 है0 वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लोठनिठिव अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य निर्माण वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय सिमिति, (तहसील धारचूला) की दिनांक 2-1-16को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री राजा कि कि पाननीय सदस्यों की उपस्थिति अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

जिस्ता क्षेत्र कार्या अध्यक्ष अध्यक्य अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष अध्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्म की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया किमुख्य मंत्री जी की घोषणा संख्या:— 121/2010 के अन्तर्गत जनपद कियौरागढ़ में रॉथी—जुम्मा—खेला—गर्गुवा—खेत मोटर मार्ग एवं सेतु का नव निमाण कार्य। (लम्बाई 30.00 कि0मी०) परियोजना हेतु 9.700 है0 िपशीरागढ़ में रॉथी—जुम्मा—खेला—गर्गुवा—खेत मोटर मार्ग एवं सेतु का नव निमाण कार्य। (लम्बाई 30.00 कि0मी०) परियोजना हेतु 9.700 है0 विमाण खण्ड, लोठिनिविव अरकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में इस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। याम समा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लियत नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनु स्था की गई है। सबधित उप प्रमागांय वनाधिकारों, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2008 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पश्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया के विकक में सर्वसम्मित से निर्माण खण्ड लोठिनिविव अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत मुख्य मंत्री जी की घोषणा द्वारा अनापित जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मित से निर्माण खण्ड लोठिनिविव अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्रार कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यवत की गयी।

भाग सिंह हार्थी भाग स्थापन स्यापन स्थापन स्

चिम्मी गाँग एक स्वम्ल

उप जिलाधिकारी/अस्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

and of the s

# FROM -1 GOVERENMENT OF UTTARAKHAND OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR PITHORAARH

COLLECTOR ITHORAKH
Dated

## TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter no. 11-9/98-EC(pt) dated 3<sup>rd</sup> august 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes and with MOEF,s letter dated 5<sup>th</sup> feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 9.655 Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Ranthi-Jumma-khela-Garguwa-Khet Moter Road. Construction Division P.W.D. Askote (Purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh Distt. falls within jurisdication of Ranthi-Jumma & Shyakuri in Dharchula Tahsils.

- (a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out of the entire <u>9.655</u> hectares area proposed for diversion A copy of records of all consolation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha (s) sub-division level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required as required under section 3 (2) of FRA have been completed and the Gram Shabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and preagricultural at communities

Encl: As above

जिला अधिकारी, Signature पिथौराम्बर्

(Full Name of the official seal of the District Collector)

#### It is further certified that:

SI. No.		
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 9.655 hect. Of forest area proposed for diversion. a copy of records of all consultation and meetings of the forest rights committee are enclosed an annexure I to annexure.	scheduled tribes and other Traditional Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of oncerned motor road os affixed the the forest file.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwelers

Encl: As above

Signature जिला अधिकारी, पिथीरण

(Full Name of the official seal of the District Collector)

#### OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT- PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pithoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr H. C. Service deputy commissioner Pithoragarh on dated 2.6 3.3.2.5 at time .2.3.2....at Pithoragarh in which application claiming rights of Sosa area measuring 9.665 hect for the construction Rathi Jumma Khela Garguwa to Khet Motor Road 30.00 Km forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Dharchula were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place-Pithoragarh Dated: 26 [+3] 2015 Deputy Commissioner Chairman
District Level Committe

4

परियोजना का नाम :-

जनपद पिथौरागढ़ में रॉथी—जुम्मा—खेला—गर्गुवा—खेत मोटर मार्ग एवं सेतु का नवनिर्माण (मा० मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या— 121/2010) लम्बाई 30.000 किमी0+1 न0 सेतु हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

#### कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ

#### अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अघिनियम 2006 के तहत

#### प्रमाण-पत्र

#### जिला स्तरीय समिति, पिथौरागढ़।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत् वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ক্রিটি মুক্তি আনু জিলাधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री अध्यक्ष, जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

2- श्री *चिन्च आर्गे व्यामित्र* सदस्य, प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़।

3- श्री कि कि शाम सदस्य/सिवव, जिला समाज कल्याण अधिकारी।

4- श्रीमती भूज्जूता महियात सदस्य, जिला पंचायत, क्षेत्र

5- श्री असू सदस्य, जिला पंचायत, क्षेत्र के

6- श्री कम्बते है। आमा सदस्य, जिला पंचायत, क्षेत्र सुन्मी की।

सचिव, द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि रॉथी—जुम्मा—खेला—गर्गुवा—खेत मोटर मार्ग एवं सेतु का नविर्माण (लम्बाई 30.000 किमी0+1 न0 सेतु) परियोजना हेतु 9.655 है0 वनभूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिम्बत नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर साार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, वनप्रभाग पिथौरागढ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार सिमित द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। बैठक में सर्वसम्मिति से निर्माण खण्ड, लोठनिठविठ अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत माठ मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 215/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में रॉथी—जुम्मा—खेला—गर्गुवा— खेत मोटर मार्ग एवं सेतु का नवनिर्माण (माठ मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या— 121/2016) परियोजना के निर्माण हेतु 9.655 हेठ वन भूमि निर्माण खण्ड, लोठनिठविठ अस्कोट, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

जिलाधिकारी (अध्यक्षेत्र, रिप्रेथीरागढ़।

क्यो रागढ

जिला प्रमिषत सरिस्स, (सरस्य) सदस्य जिल्ला प्रचीय । सद्दिग धारबुला

पिथौरागढ़,

प्रमाचीय बनाधिकारी (सहस्य) पिर्मास्य द्वारा

जिला पंचायत क्रिसी, (संदस्य)

जिला समाज कान्याण अधिकारी जिला समाज कान्याण अधिकारी जिला कान्याण अधिकारी जिला जिला कार्याण अधिकारी जिला कार्याण कार्या

जिला अन्यसन सर्वस्य, (संदस्य)

जिला पंचायत - सरमोली मुनस्यारी, पिथीरागढ

#### FROM -1 GOVERENMENT OF UTTARAKHAND

## OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR PITHORAARH

No. ....42......

Dated .. 6. 1.21.418 ...

#### TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter no. 11-9/98-EC(pt) dated 3<sup>rd</sup> august 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes and with MOEF,s letter dated 5<sup>th</sup> feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 9.655 Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Construction Division P.W.D. Askote) for Construction of Ranthi-Jumma-Khela-Garguwa-Khet Moter Road. (Purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh Distt. falls within jurisdication of Ranthi, Jumma & Shykuri Village in Dharchula Tahsils.

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out of the entire <u>9.655</u> hectares area proposed for diversion A copy of records of all consolation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha (s) subdivision level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required as required under section 3 (2) of FRA have been completed and the Gram Shabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and preagricultural at communities

Encl: As above

Signature

(Full Name of the official seal of the District Collector)

#### It is further certified that:

SI. No.		
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire .9.455 of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest rights committee are enclosed an annexure I to annexure.	Yes. Copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers. No objection certificate of concerned motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.

Encl: As above

Signature

(Full Name of the official seal of the District

निर्माण खण्ड लो**ंनिंविं** अस्कोट (पिधीरागढ़)